ायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
संख्या :– 56/2020

शीर्षक

दनलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
ेश पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
केश पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
वण कुमार पुत्र स्व0 चौथु
हिताश पुत्र स्व0 चौथु
मस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
–वादीगण

बनाम

सराज पुत्र स्व0 लक्ष्मण
मला देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण
समस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी लेटकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
ाथी देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी रमेश
ुनीता देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी रामवतार
समस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी टकसोला तह0 पावटा, जिला जयपुर, राज0।
ंतोष देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी मुलचन्द, उम्र–व्यस्क, निवी ग्राम रूण्डल, तह0 आमेर, जिला जयपुर राज0।
ाजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा , जिला जयपुर (राज0)
–प्रतिवादीगण

<u>ावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

निर्णय दिनांक 13/01/2023

वाद संक्षेप इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश किया कि गया कि आराजी ख0नं0 93 रकबा 0.23 है0, 1094 रकबा 0.15 है0, 1095/1493 रकबा 0.13 है0, 1096 रकबा 0.24 है0, 63 रकबा 0.26 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, 1158 रकबा 0.26 है0 किता–7 कुल रकबा 1.53 है0 कै ग्राम लेट का बास, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है जो कि वादीगण की पैतृक भूमि है इस मि को वाद पत्र में विवादित भूमि के रूप में संबोधित किया है। वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 लगा0 5 क ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य रहे हैं जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

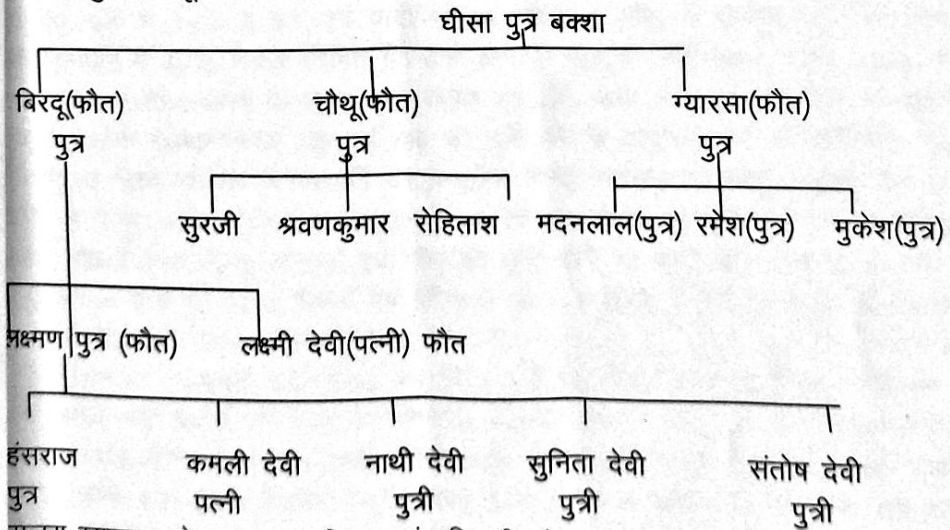

सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 के पूर्वज बिरदू, चौथू एवं ग्यारसा है जो की घीसा की सन्ताने हैं वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 एक ही हिन्दू संयुक्त खानदान के सदस्य रहे हैं एवं वाद पत्र में वर्णित विवादित भूमि की वादीगण एवं प्रतिवादी सं0– 1 लगा0 5 के संयुक्त खानदान की पैतृक संपत्ति रही है विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा पुत्र बक्शा के नाम रही है। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी मुतनाजा पर वादीगण के पूर्वज घीसा

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व ही रियासत काल से ही काबिज काश्त करता रहा रियासत काल में घीसा द्वारा विवादित भूमि पर काश्त करने की जमाबन्दी सं0–1988 संलग्न वाद है जिसके अनुसार खसरा नम्बर– 742 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 909 रकबा 2 बीघा बिस्वा किता–2 कुल रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वादी के पूर्वज घीसा पुत्र बक्शा के नाम रही है साबिक मेण्ट के समय खसरा नम्बर 742 नये साबिक खसरा नम्बर 748 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा एवं ा नम्बर 909 के नये साबिक खसरा नम्बर 908 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा कायम किये गये साबिक न क्षेत्रफल सं0– 2008 से 2027 संलग्न वाद पत्र है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज साबिक खसरा नं0– 748 एवं 908 पर हाल आबाद काबिज रहे है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बिरदू, चौथू एवं ग्यारसा सगे भाई थे एवं संयुक्त रूप विवादित भूमि पर अपने पिता घीसा के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करते रहे जिनका दित भूमि में बहिस्सा बराबर हक अधिकार रहा है प्रतिवादी सं0– 1 लगा0 5 के पूर्वज बिरदू ने स्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके साबिक खसरा नं0–908 की संपूर्ण भूमि अपने नाम करवा ली साबिक खसरा नं0 748 की भूमि में अपने नाम के साथ ही अपने भाई वादीगण के पूर्वज चौथू एवं सा का नाम भी दर्ज करवा दिया। विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा की ति रही है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा की मृत्यु के बाद बिरदू ने राजस्व ारियों से मिली भगत साबिक खसरा नम्बर 908 को अपने नाम करवा लिया एवं साबिक खसरा र 748 मे तीनों भाईयों बिरदू, चौथू एवं ग्यारसा के नाम दर्ज करवा दिया तत्पश्चात लालचवश बिरदू ाबिक खसरा नम्बर 748 के रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज चौथू एवं ग्यारसा का नाम हटवा करके र्ण भूमि अकेले अपने नाम करवा ली इस प्रकार कानूनन उक्त प्रविष्टियां काबिले दुरूस्त है। ादित भूमि घीसा की संपत्ति होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0– 1 लगा0 5 के पूर्वज दू, चौथू एवं ग्यारसा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित रहा है एवं विधिनुसार विवादित भूमि में प्रत्येक 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परंतु बिरदू ने अकेले अपने नाम करवा ली जो काबिले दुरूस्त है

हाल सेटलमेण्ट में साबिक खसरा नंबर 748 से हाल आराजी खसरा नं0– 1153, 1155, 1158 ता– 3 कुल रकबा 0.78 है0 तथा साबिक खसरा नम्बर 908 से हाल आराजी खसरा नम्बर– 1093, 4, 1096, 1095/1493 किता–4 कुल रकबा 0.75 है0 वाकै ग्राम लेट का बास, तह0शाहपुरा, जिला पुर में बनाये गये है । प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 के पूर्वज बिरदूराम साबिक खसरा नम्बर 748 908 की खातेदारी विधि विरूद्ध तरीके से नाम करवाये जाने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाने पर दू के वारिस पुत्र लक्ष्मण एवं पत्नी लच्छी देवी ने जरिए विरासत साबिक खसरा नम्बर 748 एवं 908 बने नये खसरा नं0– 1153, 1155, 1158, 1093, 1094, 1093, 1095/1493 की भूमि अकेले के नाम वा ली है लक्ष्मण एवं लच्छी दोनों की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं0–1 ा0 5 है । विवादित भूमि में बिरदू का 1/3 हिस्सा निहित रहा है इस प्रकार से वादग्रस्त भूमि में तिवादी सं0–1 लगा0 5 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0–1 लगा0 3 जो कि ग्यारसा के विधिक वारिस है वादित भूमि में 1/3 हिस्सा एवं वादी सं0–4 लगा0 5 चौथू के विधिक वारिसान होने के कारण वादित भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है। हाल आराजी खसरा नम्बर 1093, 1094, 1093, 1095/1493, 96, 1153, 1155, 1158 किता–7 कुल रकबा 1.53 है0 वाकै ग्राम लेट का बास, तह0शाहपुरा, जिला यपुर साबिक खसरा नम्बर 908 एवं 748 की भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0–1 लगा0 5 ो संयुक्त पैतृक संपत्ति है जिसकी उसके पूर्वज बिरदू, ग्यारसा एवं चौथु संयुक्त रूप से अपने पिता ीसा के साथ काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। घीसा की मृत्यु के पश्चात प्रत्येक का 1/3 ्सा रहा है तथा बिरदू, ग्यारसा एवं चौथु की मृत्यु होने पर वादी सं0–1 लगा0 3 का 1/3 हिस्सा, ादी सं0–4 व 5 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं0– 1 लगा0 5 का 1/3 हिस्सा निहित है जिसकी ादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादपत्र मयशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि डिकी बहक वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण स आशय की प्रदान की जावे कि आराजी ख0नं0 1093 रकबा 0.23 है0, 1094 रकबा 0.15 है0, 095/1493 रकबा 0.13 है0, 1096 रकबा 0.24 है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, 158 रकबा 0.26 है0 किता–7 कुल रकबा 1.53 है0 वाकै ग्राम लेट का बास, तह0शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान के वादी सं0– 01 लगा0 3 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं0–4 व 5 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तदनुसार राजस्व अभिलेख में इसका अमल दरामद किया जावे, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे, शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

वादी पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवीगण बावजूद
ा के अनुपस्थित रहने पर विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । प्रकरण में वादीगण
ओर से श्रवणकुमार पुत्र चौथू जाति धानका निवासी लेटकाबास, मदनलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल
ग्यारसा ने शपथ पत्र पेश कर वादपत्र में उल्लेखित विवरण को जाहिर करते हुए वादी सं0 1से3
1/3 का तथा वादी सं0 4 से 5 को 1/3 हिस्से का विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार
त किये जाने का निवेदन किया । वकील वादी ने पत्रावली में पेश दस्तावेजात पर वकील वादी ने
ी डलवाये । जिसमें प्रदर्श' मिसल हकीयत संवत् 1988 पी–1, साबिक मिलान क्षेत्रफल पी 2 व 3,
नी बन्दोबस्त सं0 2008 से 27 पी–4, नकल खतौनी जमाबन्दी पी'5, नकल जमाबन्दी सं0 2034 से
पी–6, मिलान क्षेत्रफल पी–7, मिलान क्षेत्रफल हाल पी–8, खतौनी जमाबन्दी सं0 2040 पी'9,
बन्दी सं0 2051 से 54 पी–10, जमाबन्दी सं0 2071 से 74 पी–11, हॉल जमाबन्दी पी–12 पेश किये
त्यु प्रमाण चौथूराम पी–13 एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ग्यारसीलाल पी–14 पेश किये गये ।

वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यो को जाहिर करते हुए दावा
बिक वादपत्र के डिकी किये जाने का निवेदन किया ।

हमने वकील वादी की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा वाद पत्र में पेश दस्तावेजात
अवलोकन पर पाया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 742 रकबी 3 बीघा 4 बिस्वा तथा
नं0 909 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रदर्श पी–1 मिसल हकीयत बन्दोबस्ती में वादीगण व
वादीगण के पूर्वज घीसा वल्द बक्शा के नाम दर्ज रही है। मिलान क्षेत्रफल पी'2 व 3 का
लोकन पर पाया गया कि साबिक ख0नं0 742 के नये नम्बर 748 तथा साबिक ख0नं0 909 के नये
नं0 908 कायम किये गये है । खतौनी बन्दोबस्त 2008 से 2027 पी–4 व पी–5 में आराजी ख0नं0
वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज बिरदा, चौथा, ग्यारसा पि0 घीसा के नाम दर्ज रही है।
ाबन्दी सं0 2034 से 2037 पी–6 में आराजी ख0नं0 748 व 908 प्रतिवादीगण के पूर्वज बिरदू पुत्र
सा के नाम दर्ज हो गई है। साबिक ख0नं0 908 के हॉल नम्बर 1093, 1094, 1996, 1095/1493
ा साबिक ख0नं0 748 के हॉल ख0नं0 1153, 1155, 1158 कायम किया जाना मिलान क्षेत्रफल पी 7
पी 8 से साबित होता है तथा जमाबन्दी सं0 2040 में आराजी ख0नं0 1053, 1094, 1096, 1153,
55, 1158, 1095/1493 प्रतिवादीगण के पूर्वज बिरदू पुत्र घीसा के नाम दर्ज होना तथा जमाबन्दी
2051 , 2071 व 2074 में बिरदू की विरासत से प्रतिवादीगण के पिता लक्ष्मण पुत्र बिरदू एवं माता
छी पत्नि स्व0 बिरदू के नाम दर्ज होना साबित होता है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन से
साबिक होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा पुत्र बक्शा के नाम
तेदारी में दर्ज रही है तथा उसकी मृत्यु के बाद साबिक ख0नं0 748 में वादी एवं प्रतिवादीगण के
र्ज बिरदा, चौथा व ग्यारसा के नाम दर्ज भी हो चुकी थी लेकिन जमाबन्दी सं0 2034 में साबिक
0नं0 748 व 908 एक मात्र. बिरदा के नाम ही दर्ज हुई है जबकि वादीगण के पूर्वजो के नाम भी भूमि
र्ज होनी चाहिए थी। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में उपस्थित नहीं आये तथा न ही कोई ऐसा
स्तावेज पेश किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि वर्तमान में प्रतिवादीगण के माता पिता के
ाम दर्ज भूमि सही है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज घीसा पुत्र बक्शा के नाम दर्ज भूमि
वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन खातेदार घीसा के नाम की भूमि अकेले
िरदू ने अपने नाम विवादित आराजी सम्पूर्ण भूमि दर्ज होना साबिक होता है, जबकि प्रतिवादीगण सं0
से 5 घीसा के नाम दर्ज रही भूमि में 1/3 के ही खातेदार काश्तकार है, वादीगण 2/3 के खातेदार
ोना चाहिए था । इस प्रकार उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वकील वादी की बहस से दावा
ादीगण के हक में डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा आराजी खसरा
नम्बर 1093 रकबा 0.23 है0, 1094 रकबा 0.15 है0, 1095/1493 रकबा 0.13 है0, 1096 रकबा 0.24
है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, 1158 रकबा 0.26 है0 कुल किता 7 रकबा 1.53 है0
वाके ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र बिरदू, लच्छी पत्नि स्व0 बिरदू
का हिस्सा हजफ कर वादी संख्या 1 से 3 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं0 4 व 5 को 1/3 हिस्से
का तथा प्रतिवादी के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र बिरदू, लच्छी पत्नि स्व0 बिरदू जाति धानका निवासी लेटकाबास
को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे शांति
पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार
शाहपुरा को लिखा जावे । पर्चा डिकी जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना) अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

सीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

संख्या :– 56/2020

शीर्षक

मदनलाल पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
रमेश पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
मुकेश पुत्र स्व0 ग्यारसीलाल उर्फ ग्यारसा
श्रवण कुमार पुत्र स्व0 चौथु
रोहिताश पुत्र स्व0 चौथु
समस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी लेट का बास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–वादीगण

बनाम

हंसराज पुत्र स्व0 लक्ष्मण
कमला देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण
समस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी लेटकाबास, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
साथी देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी रमेश
सुनीता देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी रामवतार
समस्त व्यस्क, जाति धानका, निवासी टकसोला तह0 पावटा, जिला जयपुर, राज0।
संतोष देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण पत्नी मुलचन्द, उम्र–व्यस्क, निवी ग्राम रूण्डल, तह0 आमेर, जिला जयपुर राज0।
राजस्थाना सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
उपपंजीयक उपपंजीयन कार्यालय–शाहपुरा , जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88,53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 13-01-2023

अतः दावा वादीगण के हक में डिकी किया जाता हैं कि हाल आराजी खसरा आराजी खसरा नम्बर 1093 रकबा 0.23 है0, 1094 रकबा 0.15 है0, 1095/1493 रकबा 0.13 है0, 1096 रकबा 0.24 है0, 1153 रकबा 0.26 है0, 1155 रकबा 0.26 है0, 1158 रकबा 0.26 है0 कुल किता 7 रकबा 1.53 है0 वाके ग्राम लेटकाबास तहसील शाहपुरा में प्रतिवादी के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र बिरदू, लच्छी पत्नि स्व0 बिरदू का हिस्सा हजफ कर वादी संख्या 1 से 3 को 1/3 हिस्से का तथा वादी सं0 4 व 5 को 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी के पूर्वज लक्ष्मण पुत्र बिरदू, लच्छी पत्नि स्व0 बिरदू जाति धानका निवासी लेटकाबास को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग करने देवे । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे ।

आज तारीख 13-01-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	